UPJS010030212026

न्यायालय विशेष न्यायाधीश अनु.जाति और अनु. जनजाति (अत्याचार निवारण)अधिनियम,झांसी।

उपस्थित- आदित्य चतुर्वेदी (एच.जे.एस)

J.O.Code No- UP 6311

जमानत प्रार्थनापत्र सं- 948/ 2026

1- शेरखान उर्फ शेरा पुत्र कल्लू हाल निवासी B. No- 66 पत्थरकोठी सदर बाजार थाना सदर बाजार जिला झांसी।

2- शाहिद खान उर्फ पटट उर्फ शहीद खान पुत्र सुभराति खान निवासी B. No- 66 पत्थरकोठी सदर बाजार थाना सदर बाजार जिला झांसी। **- - - अभियुक्तगण**

बनाम

राज्य **- - - - अभियोजक**

मु. अ. सं. 110/ 2025
धारा- 115(2) ,352,351(3) BNS
एवं धारा 3(2) 5A एस.सी.एस.टी एक्ट
थाना- सदरबाजार, जिला झांसी।

दिनांक- 09. 06. 2026

1. अभियुक्तगण शेरखान उर्फ शेरा एवं शाहिद खान उर्फ पटट उर्फ शहीद खान उपरोक्त मु. अ. सं. - 110/ 2025 अन्तर्गत धारा 115(2) ,352,351(3) बी. एन. एस. एवं धारा 3(2) 5A एस.सी.एस.टी एक्ट थाना- सदर बाजार जिला झांसी के मामले में न्यायिक अभिरक्षा में है।

2. संक्षेप में अभियोजन कथानक इस प्रकार है कि दिनांक 24. 10. 25 को समय करीब 3. 30 बजे मै अपने घर के बाहर अपने पुत्र करन व पारस के साथ मौजूद थी तभी मोहल्ले के गोलू, नदिम, शेरखान मौके पर उपस्थित आये और हम लोगो के साथ गाली गलौज व मारपीट करने लगे और मौके से जान से मारने की धमकी देते हुए भाग गए। जिसमें मुझे और मेरे पुत्र करन को चोटे आयी है।

3. अभियुक्तगण की ओर से जमानत प्रार्थनापत्र इस निवेदन के साथ प्रस्तुत किया गया है कि अभियुक्तगण निर्दोष है ,उन्होने कोई अपराध नही किया है। प्रथम सूचना रिपोर्ट विलम्ब से दर्ज करायी है एवं कोई स्वतंत्र साक्षी नही दर्शाया गया है। अभियुक्तगण किसी मुकदमे में सजायाब नही हुए है। अभियुक्तगण का कोई आपराधिक इतिहास भी नही है। अतः अभियुक्तगण को दौरान विचारण जमानत पर रिहा किए जाने की याचना की गयी है।

4. अभियोजन पक्ष की ओर से विशेष लोक अभियोजक ने जमानत प्रार्थनापत्र का विरोध किया तथा कथन किया है कि अभियुक्तगण ने घटना कारित की है। उनके विरूद्ध आरोपपत्र पत्रावली पर उपलब्ध है। अतः अभियुक्तगण का जमानत प्रार्थनापत्र खारिज किए जाने की याचना की गयी है। वादी पर नोटिस की तामीला पर्याप्त है।

5. **अभियुक्तगण के जमानत आवेदन पर सुना व पत्रावली का अवलोकन किया।**

Digitally signed by ADITYA CHATURVEDI
Date: 2026.06.09 11:49:18 IST
Reason: Document Owner
Location: District and Sessions Court

6. आरोपपत्र मामले मे आ गया है। जिसमें 11 गवाह बनाये गये है। जिनके परीक्षण मे न्यायालय को समुचित समय लगेगा। आरोपपत्र आ जाने से विवेचना को भी अभियुक्तगण द्वारा प्रभावित किए जाने की कोई सम्भावना नही है। अभियुक्तगण के विरूद्ध दौरान विवेचना विवेचक ने धारा 35(3) BNSS का नोटिस जारी किया था यानि कि वे दौरान विवेचना विवेचक द्वारा गिरफतार नही हुये और उन्होने विवेचना में सहयोग किया है। प्रथम सूचना रिपोर्ट दो दिन विलम्ब से दर्ज करायी गयी है। विलम्ब का कोई यथोचित स्पष्टीकरण प्रस्तुत नही किया गया है। प्रथम सूचना रिपोर्ट में किसी भी जातिसूचक शब्द का उल्लेख नही किया है। मजरूबो को आयी सभी चोटे साधारण प्रकृति की है। अभियुक्तगण का कोई आपराधिक इतिहास पुलिस ने प्रस्तुत नही किया है। आरोपपत्र पत्रावली पर उपलब्ध है। अभियुक्तगण ने अन्तरिम जमानत का दुरूपयोग नही किया है। अभियुक्तगण द्वारा कारित अपराध सात वर्ष तक के कारावास से दण्डनीय है। अतः माननीय सर्वोच्च न्यायालय की विधि व्यवस्था **सतेन्द्र कुमार अंतिल बनाम सी. बी. आई व अन्य (2022) 10 एस. सी. आर 351 एवं माननीय उच्च न्यायालय द्वारा पारित आदेश श्रीमती बच्ची देवी बनाम उ. प्र. राज्य व अन्य याचिका अन्तर्गत धारा 528 BNSS 6400/ 2025 निर्णीत दिनांकित 12. 8. 2025** को दृष्टिगत रखते हुए बिना मामले के गुण दोष पर कोई राय व्यक्त किए हुए अभियुक्तगण का केस जमानत का सृजित होता है। तदनुसार अभियुक्तगण का जमानत आवेदन स्वीकार किए जाने योग्य है।

आदेश

अभियुक्तगण शेरखान उर्फ शेरा एवं शाहिद खान उर्फ पटट उर्फ शहीद खान का अपराध संख्या 110/ 2025 अन्तर्गत धारा 115(2) ,352,351(3) बी. एन. एस. एवं धारा 3(2) 5A एस.सी.एस.टी एक्ट थाना- सदर बाजार जिला झांसी के मामले में जमानत प्रार्थनापत्र स्वीकार किया जाता है।

अभियुक्तगण को पूर्व में दाखिल जमानतों व बंधपत्रों पर जमानत पर रिहा किया जाये।

दिनांक- 09. 06. 26

(आदित्य चतुर्वेदी)
विशेष न्यायाधीश, एस. सी. एस. टी एक्ट,
झांसी।